श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी–4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110016

क्रमांक. एफ 1(31)/ला.ब.शा.रा.सं.वि./प्रशासन–I/2022–23/263

दिनांक 06.06.2023

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या एफ 1(31)/ला.ब.शा.रा.सं.वि.वि./प्रशासन–I दिनांक 10.04.2023 के निरंतर में समस्त अध्यापकों को पुनः सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों द्वारा कम्युटिड अवकाश एवं अर्जित अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् कार्यालय में अवकाश की सूचना दी जाती है, किन्तु यह नियमानुसार नहीं है। अवकाश हेतु विश्वविद्यालय के निम्नलिखित नियम है:–

1. *कम्युटिड छुट्टी*

निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन एक स्थायी शिक्षक को एक पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर परिवर्तित छुट्टी, जो देय अर्ध–वेतन छुट्टी के आधे से अधिक न हो, प्रदान की जा सकती है :

i. संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान परिवर्तित छुट्टी की अवधि की अधिकतम सीमा 240 दिन होगी।
ii. परिवर्तित छुट्टी प्रदान किए जाने की स्थिति में, अर्ध–वेतन छुट्टी के खाते से दोगनी छुट्टी काटी जाएगी।
iii. एक साथ ली गई अर्जित छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी की कुल अवधि एक समय में 240 दिनों से अधिक नहीं होगी।

Commuted Leave

Commuted leave, not exceeding half the amount of half-pay leave due, may be granted to a permanent teacher on the basis of medical certificate from a registered medical practitioner subject to the following conditions:

(i) Commuted leave during the entire service shall be limited to a maximum of 240 days;
(ii) When commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the half-pay leave account; and
(iii) The total duration of earned leave and commuted leave taken in conjunction shall not exceed 240 days, at a time;

2. *अर्जित छुट्टियां*

i. एक शिक्षक के लिए ग्राहय अर्जित छुट्टियां

(क) प्रावकाश सहित वास्तविक सेवा का 1/30 सहित

(ख) उस अवधि का एक तिहाई, यदि कोई हो तो, जिसके दौरान उसे प्रावकाश के दौरान ड्यूटी करनी होगी।

वास्तविक सेवा की अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ, आकस्मिक, विशेष आकस्मिक और इतर कार्यार्थ छुट्टी को छोड़कर सभी छुट्टी अवधि को हटाया जाना चाहिए।

ii. किसी शिक्षक के पास 300 दिनों से अधिक की अर्जित छुट्टी जमा नहीं होनी चाहिए। एक बार में अर्जित छुट्टी मंजूर करने की अधिकतम अवधि 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, उच्चतर शिक्षा प्राप्ति या प्रशिक्षण या चिकित्या प्रमाण पत्र के साथ छुट्टी या जब पूरी छुट्टी या छुट्टी का एक भाग भारत से बाहर बिताया गया हो तो इन मामलों में 60 दिन से अधिक की अर्जित छुट्टी मंजूर की जा सकती है।

कृ.पृ.उ.1/2

संदेह दूर करने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है :

1. जब एक शिक्षक अर्जित छुट्टियों के साथ प्रावकाश को जोड़ता है तो औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी की गणना में प्रावकाश की अवधि को छुट्टी माना जाएगा जिसे विशिष्ट अवधि की छुट्टी में शामिल किया जा सकता है।
2. यदि भारत से बाहर छुट्टी का एक केवल एक हिस्सा बिताया गया हो तो 120 दिन से अधिक की छुट्टी केवल उस स्थिति में दी जाएगी, जबकि भारत में बिताई गई छुट्टियों का भाग कुल मिलाकर 120 दिन से अधिक नहीं हो।
3. **शिक्षण स्टॉफ के सदस्यों के लिए अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की अनुमति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति लागू होनी चाहिए।**

3. *Earned Leave*

(i) Earned leave admissible to a teacher shall be:

(a) 1/30th of the actual service, including vacation; plus

(b) 1/3rd of the period, if any, during which he/she is required to perform duty during the vacation.

For purposes of computation of the period of actual service, all periods' of leave except casual, special casual, and duty leave, shall be excluded.

(ii) Earned leave at the credit of a teacher shall not accumulate beyond 300 days. The maximum period of earned leave that may be sanctioned at a time shall not exceed 60 days. Earned leave exceeding 60 days may, however, be sanctioned in the case of higherstudy, or training, or leave with medical certificate, or when the entire leave, or a portion thereof, is spent outside India.

For removal of doubt, it may be clarified :

1. When a teacher combines vacation with earned leave, the period of vacation shall be reckoned as leave in calculating the maximum amount of leave on average pay which may be included in the particular period of leave.
2. In case where only a portion of the leave is spent outside India, the grant of leave in excess of 120 days shall be subject to the condition that the portion of the leave spent in India shall not, in the aggregate, exceed 120 days.
3. Encashment of earned leave shall be allowed to members of the teaching staff as applicable to the employees of the Central Government or State Government.

कर्त्तव्य अवकाश, कम्युटिड अवकाश एवं अर्जित अवकाश उपभोग करने के तत्पश्चात विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण प्रपत्र अपने पीठप्रमुख/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित प्रशासन में प्रेषित करें।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकों से आग्रह है कि उपर्युक्त नियमों तथा अवकाश आवेदन पत्र के पूर्व पृष्ठ पर अंकित नियमों का पालन करते हुए अवकाश का उपभोग करें।

यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार निर्गत की जा रही है।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन--I)

प्रतिलिपि :--

1. विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकगण एवं पीठप्रमुख/विभागाध्यक्ष
2. कुलपति/कुलसचिव एवं वित्ताधिकारी के निजी सचिव
3. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करें तथा समस्त अध्यापकगण एवं पीठप्रमुख/विभागाध्यक्ष को व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचित करें।
4. संबंधित पंजिका

भारती त्रिपाठी

सहायक कुलसचिव (प्रशासन--I)

For n.a. pls.

Sl. Sachin

07/06/23